



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-6416/MH/33/2025-RU-I

दिनांक: 06.04.2026

जिला कलेक्टर,
जिला नांदेड़,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
बीएसएनएल कार्यालय के पास,
वजीराबाद, नांदेड़ 431601, महाराष्ट्र,
ई मेल: collector.nanded@maharashtra.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला नांदेड़,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
वजीराबाद, नांदेड़, महाराष्ट्र 431601
ई मेल: sp.nanded@mahapolice.gov.in

जिला कलेक्टर,
जिला यवतमाल,
कार्यालय जिला कलेक्टर,
यवतमाल 445001, महाराष्ट्र
ई मेल: collector.yavatmal@maharashtra.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला यवतमाल,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईंस,
यवतमाल, महाराष्ट्र 445001
ई मेल: sp.yavatmal@mahapolice.gov.in

विषय: पैनगगा प्रकल्प के चिमटा बांध (धरण) के निर्माण को तत्काल रोकने एवं पेसा अनुसूचित क्षेत्र के 43 आदिवासी गाँवों के विस्थापन के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु श्रीनिवास अशोक उईके, आदिवासी कार्यकर्ता, निवासी ग्राम-झापरवाडी, पोस्ट-उमरी (कापा) तालुका-आर्णी, जिला-यवतमाल, महाराष्ट्र का दिनांक 16.11.2025 का अभ्यावेदन।


संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 12.03.2026 (प्रति संलग्न)।

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंगुरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष 1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली 110003 में दिनांक 20.04.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित समस्त तथ्य एवं सबूत प्राप्त अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को वाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


6.4.26

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्रीनिवास अशोक उईके,
आदिवासी कार्यकर्ता,
निवासी ग्राम झापरवाडी, पोस्ट उमरी (कापा), तालुका आर्णी,
जिला यवतमाल, महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग
में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।